अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार की अध्यक्षता में दिनांक 16.10.2020 को समय प्रातः 11:00 बजे से मै0 श्री सुधीर कुमार विंडलास निवासी- 53, राजपुर रोड़, देहरादून द्वारा ग्राम बंजारावाला ग्रंट, तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में चीला नदी क्षेत्र में प्रस्तावित आर0बी0एम0 माइनिंग प्रोजेक्ट (09.8780 हैक्टयर एरिया) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का कार्यवृत्तः-

मै0 श्री सुधीर कुमार विंडलास, द्वारा ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन, 2006 यथासंशोधित के प्रावधानों के अन्तर्गत ग्राम बंजारावाला ग्रंट, तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में चीला नदी क्षेत्र में प्रस्तावित आर0बी0एम0 माइनिंग प्रोजेक्ट (09.8780 हैक्टयर एरिया) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का प्रस्ताव ड्राफ्ट ई0आई0ए0 रिपोर्ट के साथ उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रस्तुत किया गया।

बोर्ड मुख्यालय उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के निर्देशानुसार, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार की अध्यक्षता एवं निम्नलिखित पैनल की उपस्थिति में दिनांक 16.10.2020 को प्राथमिक विद्यालय, ग्राम बंजारावाला ग्रंट, तहसील-भगवानपुर, जिला-हरिद्वार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक सुनवाई का पैनल निम्नवत् है।

1. **श्री के0के0 मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हरिद्वार, अध्यक्ष**
2. **श्री सुनील कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की। संयोजक**

जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय का विवरण संलग्न है।

सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोक सुनवाई की कार्यवाही का विधिवत प्रारम्भ करते हुए परियोजना के तकनीकी सलाहकार श्री भुवन जोशी से परियोजना के प्रस्ताव एवं जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी पर्यावरणीय प्रबंधन योजना को जन समुदाय को विस्तार पूर्वक अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया। श्री जोशी द्वारा परियोजना के मूलयांकन तथा प्रबन्धन योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् हैः-

1. प्रस्तवित खनन/चुगान परियोजना के प्रस्तावक, प्रस्तावित स्थल, क्षेत्रफल एवं परियोजना के वार्षिक उत्पादन क्षमता एवं परियोजना में प्रस्तावित पर्यावरण प्रबंधन/सी0एस0आर0 बजट के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित परियोजना के खनन योजना/कार्य योजना के पूर्णतः मैन्यूवल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा।
2. परियोजना को राज्य सरकार से आशय पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में अवगत कराया एवं ई0आई0ए0 नोटिफिकेशन 2006 यथा संशोधित के बारे में विस्तार से बताया।
3. प्रस्तुतीकरण के समय प्रस्तावित खनन क्षेत्र के भोगोलिक विवरण, खनिज संपदा के रिर्जव, राजाजी नेशनल पार्क से दूरी एवं वाईल्ड लाईफ बोर्ड भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया होने के बारे में बताया। पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु एवं ध्वनि के एकत्रित नमूनों के परिणामों के बारे में अवगत कराया गया।
4. खनन सामग्री में प्रयुक्त वाहनों के संचालन से उत्तपन ध्वनि/धूल की रोकथाम हेतु वाहनों का उचित रख-रखाव, यातायात प्रबन्धन, वृक्षारोपण तथा धूलकर्णों की रोकथाम, हेतु कार्य स्थल एवं आवागमन में प्रयुक्त सड़को पर निरन्तर पानी का छिड़काव किया जायेगा। जल के जल की खपत, स्रोत एवं सीवेज निस्तारण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था के बारे में बताया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में उपस्थित जन समुदाय से उनके सुझाव एवं आपत्तियां बताने हेतु अनुरोध किया गया। अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा जन समुदाय को क्षेत्र के पर्यावरण के सम्बन्ध में पड़ने वाले प्रभाव से सम्बन्धित प्रश्न/सुझावों को अवगत कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जन समुदाय द्वारा परियोजना के सन्दर्भ में प्रश्न/सुझाव एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार हैः-

1. **श्री सतेन्द्र चौहान पुत्र श्री ईशम सिंह, ग्राम बंजारेवाला।**

(1) परियोजना को अनुमति मिलने की दशा में पांच सुझाव शामिल किये जाये। खनन कार्य से खराब होने वाले रास्तों को ठीक करने हेतु जिम्मेदारी तय की जाये। ध्वनि एवं वायु प्रदूषण के निर्धारित मानकों के अनुपालन सुनिश्चित् कराने हेतु जिम्मेदारी निर्धारित की जाये। अवैध खनन नही होना चाहिये एवं खनन या तो पूर्णतः बंद किया जाये अन्यथा यदि खनन किया जाये तो नियम कानूनों के तहत् होने के लिए जिम्मेदारी तय की जाये। भू-जल का अत्यधिक दोहन को नियंत्रित किया जाये। ग्राम वालो के साथ मिलकर निगरानी समिति बनाई जाये।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरः-

अवगत कराये गये सुझावों को परियोजना में शामिल किया जायेगा। जल का दोहन प्रस्तावित परियोजना में नही किया जायेगा।

2. **श्री अम्बरीश कुमार पुत्र श्री हरीश कुमर निवासी बंजारेवाला।**

नदी तल में पूर्व में खनन हो चुका है आगे खनन होने से नई तक की गहराई बढ़ेगी। खनन से प्रदूषण होगा जिससे जंगली जानवारों एवं स्थानीय निवासीयों के स्वास्थ्य/स्वाभाव में परिवर्तन होगा। उपरोक्त बातो को ध्यान में रखते हुए खनन की अनुमति नही होनी चाहीये।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरः-

जंगली जानवरों एवं स्थानीय निवासीयों के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए उचित उपाय किये जाने का प्रावधान है। वैधानिक तरिके से खनन प्रस्तावित है। जिससे किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नदी तल पर नही पड़ेगा।

3. **श्री अब्दुल वाजीद पुत्र श्री सराजउदीन निवासी बंजारेवाला।**

खनन नही होने से पहले नदी में बाढ़ आती थी। खनन होने से यह समस्या दूर हुई है। खनन से गरीब मजदूरों को फायदा होगा। अगर खनन नियमों के अनुरूप नही होगा तो शिकायत कहां की जायेगी।

परियोजना के तकनीकी सलाहकार द्वारा दिये गये प्रत्युत्तरः-

नियमानुसार खनन कार्य न होने पर सम्बन्धिता विभागों यथा जिला प्रशासन/पर्यावरण मंत्रालय/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि विभागों में शिकायत की जा सकती है।

4. **श्री पवन कुमार पुत्र श्री श्यामलाल,निवासी बंजारेवाला।**

खनन गलत नही है। खनन से स्थानीय लोगो को रोजगार प्राप्त होगा।

5. **श्री जब्बार पुत्र श्री नीना, निवासी बंजारेवाला।**

खनन कार्य से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता है। खनन कार्य न होने से स्थानीय लोगों को मजदूरी हेतु बाहर जाना पड़ता है।

6. **श्री सुल्तान अहमद पुत्र श्री यासीन अहमद, निवासी बंजारेवाला।**

खनन होने से स्थानीय क्षेत्र में रोजगार मिलता है। खनन बंद होने से स्थानीय लोग रोजगार के अभाव में भुखमरी के कगार पर हैं। खनन पट्टा चलना चाहिये।

7. **श्री अब्दुल गफ्फार अंसारी, निवासी बंजारेवाला।**

खनन बंद होने के कारण स्थानीय मजदूरों को मजदूरी हेतु बाहर जाना पड़ता है। अतः रोजगार के लिए खनन कार्य होना चाहिये। खनन कार्य पर्यावरण के मानकों के अनुरूप होना चाहिये।

8. **श्री जावेद मलिक पुत्र श्री मुस्तकीब अली, निवासी बंजारेवाला।**

खनन न होने से नदी का तल खेतों से उपर हो गया है जिससे खेतों को नुकसान हो रहा है। खनन होना चाहिये।